नई उड़ान – संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सहायता

(संशोधित दिशा–निर्देश 29.09.2017 से प्रभावी)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सहायता – नई उड़ान योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना और दिशा–निर्देश

1. <u>योजना की पृष्ठभूमि एवं औचित्यः</u>

राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाजात अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है कि सभी समुदायों और समूहों को आर्थिक अवसरों और रोजगार में बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसमें उन समुदायों के लिए अत्याधिक सक्रिय उपायों की परिकल्पना की गई है, जो पीछे रह गए हैं और जरूरत से ज्यादा हाशिए पर आ गए हैं। अतएव, इन समुदायों की सहायता करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों के रूप में क्रियाकलापों की जरूरत है, जिनमें (1) स्व–रोजगार तथा मजदूरी रोजगार और (2) राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के संबंध में लक्ष्यों का निर्धारण किया गया हो।

2. <u>उद्देश्य</u>

इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे संघ तथा राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हो सकें तथा ग्रुप 'ए' तथा 'बी' पदों (राजपत्रित पद) के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी); राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) तथा ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) पदो ंके लिए कर्मचारी चयन आयोग (संयुक्त स्नातक स्तरीय) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देते हुए सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके।

3. <u>क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी तथा पात्रता :</u> अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी होगा तथा योजना के अधीन आर्थिक सहायता के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं और जो यूपीएससी; एसपीएससी तथा एसएससी इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं तथा अन्य सभी पात्रता मापदंड और शर्तें पूरी करते हैं। योजना के पात्रता मापदंड एवं शर्तें निम्नानुसार होंगीः–

i) अभ्यर्थी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए तथा उसने ग्रुप 'ए' और 'बी' (राजपत्रित पद) के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित सिविल सेवाएं प्रारंभिक परीक्षा तथा ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित पद) के लिए कर्मचारी चयन आयोग (संयुक्त स्नातक स्तरीय) की परीक्षा को उत्तीर्ण किया होना चाहिए।

ii) अभ्यर्थियों की सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 6.0 लाख रु. प्रतिवर्ष* से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iii) अभ्यर्थी द्वारा आर्थिक सहायता केवल एक ही बार प्राप्त की जा सकती है। अभ्यर्थी केंद्र अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की अन्य किसी ऐसी ही योजना का लाभ लेने का पात्र नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी अन्य योजनाओं का चुनाव करता है/करती है, तो उसे इस मंत्रालय से दावे को छोड़ना होगा तथा यदि वह पहले ही लाभ ले चुका हो, तो उसे राशि को 10% ब्याज सहित लौटाना होगा। उसे इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि वह अन्य किसी स्रोत से ऐसा लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है/कर रही है।

4. प्रक्रिया

योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र अभ्यर्थी परिणाम की घोषणा की तारीख से एक महीने के भीतर पोर्टल अर्थात् www.naiudaan-moma.gov.in के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

5. लागत/लाभार्थियों की संख्या

प्रत्येक वर्ष योजना के अंतर्गत देश भर में 2000 अभ्यर्थियों को पात्रता मापदंड प्राप्त करने पर तब तक आर्थिक सहायता दी जाएगी, जब तक कि बजटीय आबंटन समाप्त न हो जाए। किसी विशिष्ट समुदाय/परीक्षा के लिए उपलब्ध स्लॉट्स की सीमित संख्या के मामले में अभ्यर्थियों का चयन पहले आओ – पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। स्लॉट्स का वितरण जनगणना, 2011 के आंकड़ों पर आधारित होगा।

विभिन्न अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को लाभों का परीक्षा–वार, वास्तविक वितरण निम्नलिखित हैः–

परीक्षा का नाम	समुदाय–वार कोटा						
	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल
यूपीएससी	146	24	16	7	6	1	200
राज्य पीएससी	883	142	100	38	27	10	1200
एसएससी (सीजीएल)	441	72	50	19	13	5	600
कुल	**1470**	**238**	**166**	**64**	**46**	**16**	**2000**

यदि किसी विशेष समुदाय/परीक्षा के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस विशेष समुदाय/परीक्षा का अप्रयुक्त कोटा अन्य समुदायों/परीक्षाओं के पात्र अभ्यर्थियों को अंतरित किया जाए। समीक्षा की आवधिकता का निर्णय मंत्रालय द्वारा लिया जाए।

वित्तीय सहायता की अधिकतम दर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवाएं प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए एक लाख रु. केवल (1,00,000/- रु.); राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं पास करने पर पचास हजार रु. केवल (50,000/- रु.) (राजपत्रित पद); और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित – अराजपत्रित पदों के लिए आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (एसएससी–सीजीएल) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर पच्चीस हजार रु. केवल (25,000/- रु.) होगी।

संशोधित दरें 29.09.2017 के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए लागू होंगीं।

6. <u>अभ्यर्थियों के लिए निबंधन एवं शर्तें</u>

i) अभ्यर्थी को संघ लोक सेवा आयोग (सिविल सेवाएं) या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा समूह 'क' और / या 'ख' राजपत्रित पदों, या कर्मचारी चयन आयोग (संयुक्त स्नातक स्तरीय) द्वारा समूह 'ख' (अराजपत्रित पद) के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

ii) अभ्यर्थी को परीक्षाएं पास करने के समर्थन में संगत प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक पर्ची और दस्तावेजी प्रमाण और मंत्रालय द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।

iii) अभ्यर्थी को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

7. अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता के भुगतान के लिए शर्तें

1. अभ्यर्थी को वित्तीय लाभ केवल एक बार और केवल एक परीक्षा के लिए दिया जाएगा अर्थात यदि कोई अभ्यर्थी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेता है और साथ ही साथ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेता है तो वित्तीय सहायता केवल उस एक परीक्षा के लिए दी जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी ने प्रथम आवेदन किया है।

2. वित्तीय लाभ का भुगतान आधार नंबर, यदि उपलब्ध हो, से जोड़ा जाए। इस संबंध में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकीयों, लाभों और सेवाओं की लक्ष्यित प्रदानगी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) 31 जुलाई, 2017 को प्रकाशित, की धारा 7 के अधीन 14 जून, 2017 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2410 (अ) दिनांक 14 जून, 2017 का संदर्भ लिया जाए।

3. यदि किसी विशेष समुदाय/परीक्षा के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस विशेष समुदाय/परीक्षा का अप्रयुक्त कोटा अन्य समुदायों/परीक्षाओं के पात्र अभ्यर्थियों को अंतरित किया जाए।

4. इसके प्रभाव का आंकलन करने के लिए लाभार्थियों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक तंत्र भी विकसित किया जाए।

5. जिन अभ्यर्थियों ने इस योजना का लाभ लिया है वे यूपीएससी/एसएससी/राज्य पीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवाएं (मुख्य) के लिए निःशुल्क कोचिंग का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

6. वित्तीय लाभ का भुगतान एक किस्त में दिया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थी को ई–मेल के माध्यम से मंत्रालय को मुख्य परीक्षा के परिणाम के बारे में सूचित करना होगा।

7. <u>वित्त पोषण पद्धतिः</u>

चुने गए अभ्यर्थियों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी क्योंकि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) है। भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा।

8. अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया

आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की मंत्रालय में छानबीन की जाएगी और योजना के अधीन वित्तीय सहायता के लिए पात्र आवेदकों के चयन हेतु निम्नलिखित समिति के समक्ष रखे जाएंगेः–

क)	अपर सचिव/संयुक्त सचिव (अल्पसंख्यक कार्य)	अध्यक्ष
ख)	उप सचिव/निदेशक (वित्त)	सदस्य
ग)	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का प्रतिनिधि निदेशक/ उप सचिव के ओहदे से कम का नहीं;	सदस्य
घ)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि निदेशक/ उप सचिव के ओहदे से कम का नहीं;	सदस्य
ङ)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि निदेशक/ उप सचिव के ओहदे से कम का नहीं;	सदस्य सदस्य
च)	निदेशक (एसएस)/उप सचिव/अवर सचिव(अल्पसंख्यक कार्य)	संयोजक

योजना के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छात्रों के चयन के बारे में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और लागू कानून में प्रदत्त व्यवस्था के सिवाए इस संबंध में समिति के किसी निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

9. <u>प्रशासनिक व्यय :</u>

मंत्रालय को इस योजना के अंतर्गत अनुबंध पर स्टाफ रखने और कार्यशाला और सम्मेलन आयोजित करने के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए वार्षिक आबंटन के 5% तक को अलग रखने की अनुमति होगी। कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों में मंत्रालय द्वारा सफल उद्यमियों/लाभार्थियों को प्रदर्शित करते हुए योजना को लोकप्रिय बनाने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित समारोह भी शामिल होंगे। लागत में समारोह को आयोजित करने के लिए टीए/डीए और विविध व्ययों सहित सभी खर्च शामिल होंगे।

10. निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्रः

यह देखने के लिए कि संबंधित बैंकों के माध्यम से राशि का यथासमय संवितरण हो रहा है, निगरानी तंत्र की व्यवस्था की जाएगी ताकि चुने गए छात्रों को विलंब के कारण कठिनाई न हो। योजना के कार्यान्वयन के तीन साल के बाद इसका मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एवं विशेषीकृत एजेंसी के माध्यम से करवाया जाएगा। प्रभाव मूल्यांकन अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2017–18 से 2019–20 की समाप्ति पर किया जाएगा।

*****